

सं0 सं0 14/एम 11-1/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं 869(14)
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन
सेवा में
निदेशक,
हार्ट हौस्पीटल लिमिटेड (चन्द्रालय)
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक 5.6.17

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.5.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रोसं	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विष्णुदेव राय पिता—राम सज्जन राय ग्राम—इमादपुर पो—पस्तारा थाना—बलीगांव जिला—वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,25,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 836620 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 30002849889 खाता धारक का नाम—"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस0 बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- पूर्व के निर्गत आदेश सं0-827(14) दिनांक 29.5.17 को विलोपित किया जाता है।

३०/५/१३
२०/६/१७

5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासमाजन

३१/५/१८
 (डॉ आजोद हिन्द प्रसाद)
 निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक ८६९(१५)

पटना, दिनांक ०५-०६.१८

प्रतिलिपि— शाखा पुबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं. ८३६६२० की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

३१/५/१८
 निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक ८६९(१५)

पटना, दिनांक ०५-०६.१८

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३१/५/१८
 निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं0 सं0 14/एम 11-1/17

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद

निदेशक प्रमुख (प्रशासन

सेवा में

निदेशक,

हार्ट हॉस्पीटल लिमिटेड (चन्द्रालय)

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.5.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र०सं0	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विष्णुदेव राय पिता—राम सज्जन राय ग्राम—इमादपुर पो०—पस्तारा थाना—बलीगांव जिला—वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
कुल ₹ 1,25,000/-			

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 836610 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 30002849889 खाता धारक का नाम—"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. पूर्व के निर्गत आदेश सं0-827(14) दिनांक 29.5.17 को विलोपित किया जाता है।

31/6/17
8/6/17

5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...83.66.20...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

ज्ञापांक 869(14)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 5.6.17

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

८/११११२/१११७

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
२१.६.१७

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द्र प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,
दिव्य दृष्टि आई सेंटर ,
मंगल मार्केट, शेखपुरा,
पटना 800014 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.5.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मो० हैदर अली पिता—मो० मोतीउर रहमान ग्राम—मालती पोस्ट—भगवानपुर देसुआ थाना—उजियारपुर जिला—समस्तीपुर	नेत्र रोग	₹ 15,000/- (पन्द्रह हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 15,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,000/- (पन्द्रह हजार) मात्र का क्रास चेक सं0 836649 मूल रूप में संलग्न है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द्र प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 831 (14)

पटना, दिनांक - 29-5-17

प्रतिलिपि— लेखापोल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री आलोक कुमार मेहता मा० मंत्री सहकारिता विभाग / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

४/११४/२
29/५/१७
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं0 सं0 14/एम 11-1/17
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द्र प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 17.5.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अंजेश कुमार सिन्हा पिता-स्व. राजेन्द्र प्रसाद ग्राम-खोआजपुर पोस्ट-पस्तारा थाना-बलीगांव जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
2	अनिल कुमार सिन्हा पिता-स्व. गिरिस कुमार सिन्हा ग्राम-अमला टोला पो-मधुबनी थाना-केठे हाट जिला-पूर्णिया	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,85,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,85,000/- (दो लाख पचासी हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 826618 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम—"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओबरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

४/११/२०१७

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं836610 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

पटना, दिनांक

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - ८२८ (14)

पटना, दिनांक - २९-५-१७

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

११/५/३/२०१७

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

b